प्रकरण संख्या 06/19 2019/00006 रजू दिनांक 04.02.2019

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी नन्नूमल पहाडिया आई.ए.एस.

उनवान

रामसिंह मीना पुत्र श्री गणपत मीना, निवासी ग्राम पंचायत टोड़ा, तहसील सपोटरा जिला करौली(राज0) – अपीलार्थी

बनाम

जिला रसद अधिकारी, करौली (राज.) – प्रत्यर्थी

उपस्थिति– 1. श्री नवल किशोर शर्मा, एडवोकेट अपीलार्थी
2. श्री अमित कुमार, प्रवर्तन निरीक्षक
3. श्री हरविन्द्र शर्मा, प्रवर्तन निरीक्षक

अपील अन्तर्गत धारा 22, राजस्थान खाद्यान्न एवम् अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 विरुद्ध जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2017 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2019

निर्णय

दिनांक–26.08.2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने जिला रसद अधिकारी करौली के आदेश दिनांक 18.07.2017 के विरुद्ध यह अपील पेश कर निवेदन किया है कि विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ग्राम पंचायत टोड़ा, तहसील सपोटरा, जिला करौली का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 1193/97 है एवम् अपीलार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के वर्ष 1993 से ग्राम पंचायत टोड़ा के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। प्राधिकार पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत है। राजनैतिक रंजिशवश माननीय सदस्य विधानसभा लालसोट द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उच्चस्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 16.03.2017 से 18.03.2017 तक अपीलार्थी की दुकान की जांच की गई एवं जांच के लगभग दो महीने पश्चात् जिला रसद अधिकारी करौली ने अपने आदेश दिनांक 09.05.2017 द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया एवं तत्पश्चात् 01.06.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब मय साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2017 को प्रस्तुत कर दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आगामी तारीख पेशी बाबत् बाद में सूचित करने के लिये कहा, लेकिन अपीलार्थी द्वारा कई बार जिला रसद अधिकारी, करौली कार्यालय में आगामी तारीख पेशी बाबत् जानकारी चाही गई, लेकिन कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी को कोई जानकारी व संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा दिनांक 19.07.2017 को पारित आदेश के द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र के निलंबित हो जाने के कारण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान को वैकल्पिक व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत टोड़ा के दूसरे भाग के डीलर श्री कुबेर सिंह मीना के अटैच कर अपीलार्थी को शेष समस्त स्टॉक, अस्थाई डीलर कुबेर सिंह मीना को सुपुर्द करने के आदेश पारित किये, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2017 को अवशेष समस्त स्टॉक ग्राम पंचायत टोड़ा के डीलर श्री कुबेर सिंह मीना को सुपुर्द कर दिया, जिसकी प्राप्ति रसीद श्री कुबेर सिंह मीना द्वारा अपीलार्थी को दे दी गई। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि जब जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.07.2017

जिला कलक्टर
करौली

द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित माना जाकर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु श्री कुबेर सिंह मीना को अस्थाई अटैच किये जाने बाबत् आदेश पारित किया है, तो ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 संदेहास्पद है, जो कि बैक डेट में जारी किया जाना प्रतीत होता है। जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली की आदेशिकाओं से यह स्पष्ट साबित है कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जिसकी कोई भी सूचना जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली द्वारा अपीलार्थी को नहीं दी गई एवं ना ही उक्त आदेश की तामील अपीलार्थी को करवाई गई। प्राधिकार पत्र के निलंबन के 90 दिवस से अधिक हो जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की, जिसका जवाब विभागीय अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.08.2017 को प्रस्तुत किया, जिसके पैरा नंबर 4 में यह उल्लेखित किया कि अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को दिनांक 18.07.2017 को निरस्त किया जा चुका है, तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्पूर्ण पत्रावली की नकल चाही गई जिस पर जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली द्वारा नकल उपलब्ध करवाई गई, जिसकी आदेशिकाओं के प्रथम दृष्टया अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 बैक डेट में पारित किया गया, क्योंकि आदेशिका दिनांक 16.07.2017 लगायत 18.07.2017 की लिखावट एक ही दिन में की गई प्रतीत होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक आदेशिका के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, लेकिन चूंकि उक्त चारों दिनांक की आदेशिकायें एक साथ लिखी गई हैं, जिसके कारण आदेशिका दिनांक 16.07.2017 पर किसी भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो इस बात को बखूबी सिद्ध करता है कि उक्त आदेशिकायें बैक डेट में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् की गई हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आदेशिका दिनांक 27.06.2017 पर किये गये तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली के हस्ताक्षर की स्टाइल एवं बनावट भी प्रथम दृष्टया भिन्न प्रतीत होती है जो कि संदेहास्पद है, जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित है कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 राजनीतिक दबाव के कारण बैक डेट में जारी किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.09.2017 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.07.2017 से 31.08.2017 तक डिस्पैच रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई, जो कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.09.2017 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को गलत रूप से परिभाषित करते हुए अपीलार्थी को नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे यह बात साबित है कि जिला रसद अधिकारी करौली कार्यालय द्वारा दिनांक 28.08.2017 तक उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 की ना तो सूचना दी गई, ना ही उक्त आदेश की तामील अपीलार्थी को करवाई गई। खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण आनन–फानन में प्रार्थी की दुकान की जांच की गई जिसमें मुख्यतः यह आरोप लगाया है कि तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा वास्तविक सूचना से अधिक यूनिट बढ़ाकर गेंहूं का आवंटन किया गया, जिसका पात्र कार्डधारकों के अभाव में वितरण संभव नहीं माना जाकर प्रथम दृष्टया गेंहूं के दुरुपयोग का मामला बनाया गया, जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि जांच दल द्वारा ना तो रसद सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया एवं ना ही उचित माप–तोल की गई, केवल मात्र अंदाजन से स्टॉक की गणना की गई एवं यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरपंच टोड़ा के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच की जाकर अपने आदेश दिनांक 18.05.2016 द्वारा खाद्य सुरक्षा में चयनित राशन कार्डों की यूनिट के आधार पर रोस्टर अनुसार गेंहूं का आवंटन किया गया, जिसको प्रार्थी द्वारा पात्र उपभोक्तओं में वितरित कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी की कतई कोई गलती नहीं है, क्योंकि डीलर को रसद सामग्री का आवंटन जिला रसद अधिकारी द्वारा रोस्टर के अनुसार किया जाता है, जिसमें डीलर का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, बावजूद इसके जांच दल द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण अनावश्यक रूप से बिना किसी स्पष्ट एवं ठोस निष्कर्ष के डीलर को दोषी माना

जिला कलक्टर
करौली

गया एवं जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा बिना अपने विवेक का उचित इस्तेमाल किये एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव को कन्सीडर किये बिना ही उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 पारित किया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा वक्त जांच तक 691.19 क्विं. गेंहूं का उठाव किया गया, जिसमें 474.56 क्विं. गेंहूं का वितरण रजिस्टर एवं पोस मशीन से कर दिया गया एवं 216.63 क्विं. गेंहूं स्टॉक में शेष रहा। इसी प्रकार 33.50 क्विं. चीनी का उठाव किया गया, जिसमें से 18.28.500 क्विं. चीनी का वितरण उपभोक्ताओं को कर दिया गया एवं 15.21.500 क्विं. चीनी स्टॉक में शेष रही। इसी प्रकार 6650 लीटर केरोसीन का उठाव किया गया, जिसमें से 4382 लीटर केरोसीन का वितरण उपभोक्ताओं को कर दिया गया एवं 2268 लीटर केरोसीन स्टॉक में शेष रहा, जो कि समस्त अवशेष स्टॉक अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2017 की पालना में अटैच डीलर कुबेरसिंह मीना को सुपुर्द कर दिया। अतः अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की ना तो कोई अनियमितता की गई एव ना ही रसद सामग्री का दुरुपयोग किया गया, बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त तथ्यों को कन्सीडर नहीं किया जाकर अहम कानूनी भूल की है एवं विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 को अपीलार्थी को बिना सुने बैकडेट में आदेश पारित किया है। अपीलार्थी इस एकमात्र रोजगार के साधन द्वारा अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक एवं वितरण के समस्त रजिस्टर जांच दल के समक्ष प्रस्तुत कर देने तथा जांच रिपोर्ट में कालाबाजारी एवं रसद सामग्री के दुरुपयोग संबंधित कोई ठोस निष्कर्ष अंकित नहीं होने के बावजूद अपीलार्थी को मेजर पैनल्टी से दण्डित किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.1994 के द्वारा भी छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलर के विरुद्ध मुकदमा नहीं बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। अंत में अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलार्थी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017, राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरुद्ध होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाण्ट ग्राम पंचायत टोड़ा, तहसील सपोटरा, जिला करौली का उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र संख्या 1193/97 है एवम् अपीलार्थी द्वारा बिना किसी शिकायत के वर्ष 1993 से ग्राम पंचायत टोड़ा के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण किया जाता रहा है। प्राधिकार पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत है। राजनैतिक रंजिशवश माननीय सदस्य विधानसभा लालसोट द्वारा की गई शिकायत के आधार पर उच्चस्तरीय राजनैतिक दबाव के कारण खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा दिनांक 16.03.2017 से 18.03.2017 तक अपीलार्थी की दुकान की जांच की गई एवं जांच के लगभग दो महीने पश्चात् जिला रसद अधिकारी करौली ने अपने आदेश दिनांक 09.05.2017 द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित किया एवं तत्पश्चात् 01.06.2017 को कारण बताओ नोटिस जारी किया जिसका उचित एवं विस्तृत जवाब मय साक्ष्य अपीलार्थी द्वारा दिनांक 14.06.2017 को प्रस्तुत कर दिया। यहां यह उल्लेखनीय है कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा आगामी तारीख पेशी बाबत् बाद में सूचित करने के लिये कहा, लेकिन अपीलार्थी द्वारा कई बार जिला रसद अधिकारी, करौली कार्यालय में आगामी तारीख पेशी बाबत् जानकारी चाही गई, लेकिन कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपीलार्थी को कोई जानकारी व संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा दिनांक 19.07.2017 को पारित आदेश के द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र के निलंबित हो जाने के कारण अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान को वैकल्पिक व्यवस्था हेतु ग्राम पंचायत टोड़ा के दूसरे भाग के डीलर श्री कुबेर सिंह मीना के अटैच कर अपीलार्थी को शेष समस्त स्टॉक, अस्थाई डीलर कुबेर सिंह मीना को सुपुर्द करने

जिला कलक्टर
करौली

के आदेश पारित किये, जिसकी पालना में अपीलार्थी द्वारा दिनांक 25.07.2017 को अवशेष समस्त स्टॉक ग्राम पंचायत टोड़ा के डीलर श्री कुबेर सिंह मीना को सुपुर्द कर दिया, जिसकी प्राप्ति रसीद श्री कुबेर सिंह मीना द्वारा अपीलार्थी को दे दी गई। यहां यह उल्लेख करना समीचीन होगा कि जब जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.07.2017 द्वारा अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निलंबित माना जाकर वैकल्पिक व्यवस्था हेतु श्री कुबेर सिंह मीना को अस्थाई अटैच किये जाने बाबत् आदेश पारित किया है, तो ऐसी स्थिति में जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 संदेहास्पद है, जो कि बैक डेट में जारी किया जाना प्रतीत होता है। जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली की आदेशिकाओं से यह स्पष्ट साबित है कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 अपीलार्थी की अनुपस्थिति में पारित किया गया है जिसकी कोई भी सूचना जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली द्वारा अपीलार्थी को नहीं दी गई एवं ना ही उक्त आदेश की तामील अपीलार्थी को करवाई गई। प्राधिकार पत्र के निलंबन के 90 दिवस से अधिक हो जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्राधिकार पत्र को बहाल किये जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत की, जिसका जवाब विभागीय अधिवक्ता द्वारा दिनांक 28.08.2017 को प्रस्तुत किया, जिसके पैरा नंबर 4 में यह उल्लेखित किया कि अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को दिनांक 18.07.2017 को निरस्त किया जा चुका है, तत्पश्चात् अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली से सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सम्पूर्ण पत्रावली की नकल चाही गई जिस पर जिला रसद अधिकारी कार्यालय करौली द्वारा नकल उपलब्ध करवाई गई, जिसकी आदेशिकाओं के प्रथम दृष्टया अवलोकन करने से यह प्रतीत होता है कि जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 बैक डेट में पारित किया गया, क्योंकि आदेशिका दिनांक 16.07.2017 लगायत 18.07.2017 की लिखावट एक ही दिन में की गई प्रतीत होती है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि प्रत्येक आदेशिका के पश्चात् पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर होना आवश्यक है, लेकिन चूंकि उक्त चारों दिनांक की आदेशिकायें एक साथ लिखी गई हैं, जिसके कारण आदेशिका दिनांक 16.07.2017 पर किसी भी पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं, जो इस बात को बखूबी सिद्ध करता है कि उक्त आदेशिकायें बैक डेट में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करने के पश्चात् की गई हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आदेशिका दिनांक 27.06.2017 पर किये गये तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली के हस्ताक्षर की स्टाइल एवं बनावट भी प्रथम दृष्टया भिन्न प्रतीत होती है जो कि संदेहास्पद है, जिससे यह प्रथम दृष्टया साबित है कि उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 राजनीतिक दबाव के कारण बैक डेट में जारी किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। अपीलार्थी द्वारा दिनांक 20.09.2017 को सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 13.07.2017 से 31.08.2017 तक डिस्पैच रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई, जो कि कार्यालय जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा अपने आदेश दिनांक 25.09.2017 द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम को गलत रूप से परिभाषित करते हुए अपीलार्थी को नकल उपलब्ध नहीं करवाई गई, जिससे यह बात साबित है कि जिला रसद अधिकारी करौली कार्यालय द्वारा दिनांक 28.08.2017 तक उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 की ना तो सूचना दी गई, ना ही उक्त आदेश की तामील अपीलार्थी को करवाई गई। खाद्य विभाग द्वारा गठित जांच दल द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण आनन–फानन में प्रार्थी की दुकान की जांच की गई जिसमें मुख्यतः यह आरोप लगाया है कि तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा वास्तविक सूचना से अधिक यूनिट बढ़ाकर गेंहूं का आवंटन किया गया, जिसका पात्र कार्डधारकों के अभाव में वितरण संभव नहीं माना जाकर प्रथम दृष्टया गेंहूं के दुरुपयोग का मामला बनाया गया, जबकि यहां यह उल्लेखनीय है कि जांच दल द्वारा ना तो रसद सामग्री का भौतिक सत्यापन किया गया एवं ना ही उचित माप–तोल की गई, केवल मात्र अंदाजन से स्टॉक की गणना की गई एवं यहां यह भी उल्लेखनीय है कि सरपंच टोड़ा के प्रार्थना पत्र पर तत्कालीन जिला रसद अधिकारी द्वारा जांच की जाकर अपने आदेश दिनांक 18.05.2016 द्वारा खाद्य सुरक्षा में चयनित राशन कार्डों की यूनिट के आधार पर रोस्टर अनुसार गेंहूं का आवंटन किया गया, जिसको प्रार्थी द्वारा पात्र उपभोक्तओं में वितरित

जिला कलक्टर
करौली

कर दिया गया, जिसमें अपीलार्थी की कतई कोई गलती नहीं है, क्योंकि डीलर को रसद सामग्री का आवंटन जिला रसद अधिकारी द्वारा रोस्टर के अनुसार किया जाता है, जिसमें डीलर का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है, बावजूद इसके जांच दल द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण अनावश्यक रूप से बिना किसी स्पष्ट एवं ठोस निष्कर्ष के डीलर को दोषी माना गया एवं जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा बिना अपने विवेक का उचित इस्तेमाल किये एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव को कन्सीडर किये बिना ही उक्त विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 पारित किया जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा वक्त जांच तक 691.19 क्विं. गेंहूं का उठाव किया गया, जिसमें 474.56 क्विं. गेंहूं का वितरण रजिस्टर एवं पोस मशीन से कर दिया गया एवं 216.63 क्विं. गेंहूं स्टॉक में शेष रहा। इसी प्रकार 33.50 क्विं. चीनी का उठाव किया गया, जिसमें से 18.28.500 क्विं. चीनी का वितरण उपभोक्ताओं को कर दिया गया एवं 15.21.500 क्विं. चीनी स्टॉक में शेष रही। इसी प्रकार 6650 लीटर केरोसीन का उठाव किया गया, जिसमें से 4382 लीटर केरोसीन का वितरण उपभोक्ताओं को कर दिया गया एवं 2268 लीटर केरोसीन स्टॉक में शेष रहा, जो कि समस्त अवशेष स्टॉक अपीलार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.07.2017 की पालना में अटैच डीलर कुबेरसिंह मीना को सुपुर्द कर दिया। अतः अपीलार्थी द्वारा किसी प्रकार की ना तो कोई अनियमितता की गई एवं ना ही रसद सामग्री का दुरुपयोग किया गया, बावजूद इसके जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा उक्त तथ्यों को कन्सीडर नहीं किया जाकर अहम कानूनी भूल की है एवं विवादित आदेश दिनांक 18.07.2017 को अपीलार्थी को बिना सुने बैकडेट में आदेश पारित किया है। अपीलार्थी इस एकमात्र रोजगार के साधन द्वारा अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता है। अपीलार्थी द्वारा स्टॉक एवं वितरण के समस्त रजिस्टर जांच दल के समक्ष प्रस्तुत कर देने तथा जांच रिपोर्ट में कालाबाजारी एवं रसद सामग्री के दुरुपयोग संबंधित कोई ठोस निष्कर्ष अंकित नहीं होने के बावजूद अपीलार्थी को मेजर पैनल्टी से दण्डित किया गया है जो कि न्यायोचित नहीं है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.1994 के द्वारा भी छोटे मोटे तकनीकी आधारों पर डीलर के विरुद्ध मुकदमा नहीं बनाने हेतु निर्देशित किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का कथन किया है।

प्रत्यर्थी का बहस में कथन है कि जिला रसद अधिकारी (सतर्कता), उदयपुर संभाग के नेतृत्व में गठित जांच दल द्वारा दिनांक 16.03.2017 को श्री रामसिंह, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत टोड़ा तहसील सपोटरा की उचित मूल्य दुकान की जांच, डीलर के पिछले छः माह के आवंटन उठाव वितरण की जांच की गई। श्री मीना को केवीएसएस करौली द्वारा सितंबर 2016 से वक्त जांच तक कुल 376.71 क्विं. गेंहूं की आपूर्ति की गई थी जिसमें से डीलर द्वारा उक्त अवधि में पोस मशीन से 220.09 क्विं. गेंहूं वितरित किया है। इसलिए मुताबिक रिकॉर्ड डीलर के पास वक्त जांच 156.61 क्विं. गेहूं होना चाहिये था लेकिन भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर 34 क्विं. गेंहूं पाया गया जो मुताबिक रिकॉर्ड 122.62 क्विं. गेंहूं कम पाया गया। डीलर को अक्टूबर 2016 से वक्त जांच तक मुताबिक रोस्टर 4900 लीटर केरोसीन वितरण हेतु आपूरित किया गया था जबकि उक्त अवधि में डीलर द्वारा 2928 लीटर केरोसीन का पोस मशीन से वितरण किया गया। इस प्रकार डीलर के पास 1972 लीटर केरोसीन बाद वितरण शेष होना चाहिये था जबकि डीलर के पास भौतिक सत्यापन करने पर मौके पर 770 लीटर केरोसीन वक्त जांच पाया गया। इस प्रकार डीलर द्वारा 1202 लीटर केरोसीन का दुरुपयोग किया गया। डीलर को दिनांक 10.10.2016 से वक्त जांच तक कुल 23 क्विं. चीनी वितरण हेतु आपूर्ति की गई थी। डीलर द्वारा उक्त अवधि में पोस मशीन से 11.51.100 क्विं. चीनी का वितरण किया है। मुताबिक पोस वितरण रिकॉर्ड डीलर के पास वक्त जांच 11.48.900 क्विं. चीनी शेष होनी चाहिये थी जबकि भौतिक सत्यापन पर मौके पर चीनी का स्टॉक निल पाया गया। इस प्रकार डीलर के पास 11.48.900 क्विं. चीनी कम पाई गई। डीलर के पास ऑनलाइन सूचना के आधार पर बने रोस्टर के अनुसार अन्त्योदय के 40 कार्ड एवं एनएफएसए के 121 कार्ड एवं 1064 यूनिट हैं जिनका 67.20 क्विं. गेंहूं प्रतिमाह बनता है जबकि डीलर को 16.05.2016 तक तथा 15.07.2016 के बाद प्रतिमाह लगभग इसी औसत से गेंहूं दिया गया है लेकिन माह अप्रैल मई 2016 में बिल

जिला कलक्टर
करौली

नंबर 3780 दिनांक 20.05.2016 द्वारा 126.70 क्विं. गेंहूं एवं बिल नं. 3900 दिनांक 06.06. 2016 द्वारा 63.35 क्विं. कुल 190.05 क्विं. गेंहूं अतिरिक्त दिया गया है जबकि पूरी पंचायत में मुताबिक ऑनलाइन सूचना 352 एनएफएसए परिवार एवं 2760 यूनिट हैं। इस बाबत् केवीएसएस से जानकारी करने पर बताया गया कि उक्त अतिरिक्त आवंटन तत्कालीन जिला रसद अधिकारी के आदेश क्रमांक रसद/उ.मू.दु./2015–16/4184–96 दिनांक 18.05.2016 की अनुपालना में दिया है। इस प्रकार तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा वास्तविक ऑन लाइन सूचना से 600 कार्ड एवं 2534 यूनिट बढ़ाकर गेंहूं आवंटित किया गया है। इस बाबत् केवीएसएस से जानकारी करने पर बताया गया कि उक्त अतिरिक्त आवंटन तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली के आदेश क्रमांक–रसद/उ.मू.दु./2015–16/4184–96 दिनांक 18.05.2016 की अनुपालना में किया गया है। इस प्रकार तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा वास्तविक ऑनलाइन सूचना से 600 कार्ड एवं 2534 यूनिट बढ़ाकर अतिरिक्त आवंटन किया गया है जिसका पात्र कार्डधारकों के अभाव में वितरण संभव नहीं है। वक्त जांच डीलर द्वारा मूल प्राधिकार पत्र, ब्ल्यू प्रिण्ट पिछले माहों की मासिक रिटर्न, पिछले एक वर्ष का स्टॉक एवं वितरण रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं करना, पीडीएस ऑर्डर 2001 के अनुरूप सूचनाओं का प्रदर्शन नहीं करना, दुकान पर एनएफएसए की ई सूची एवं यूनिट रजिस्टर संधारित उपलब्ध नहीं पाया जाना इत्यादि गंभीर अनियमितता पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए एवं अपीलार्थी को सुना जाकर विधि अनुसार निर्णय पारित किया गया है। अपीलार्थी के विरुद्ध दर्ज करायी गई प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 29/2017 थाना करणपुर में भी अंतिम निर्णय पारित नहीं हुआ है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज किये जाने का कथन किया है।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन कर मनन किया गया। खाद्य विभाग के पत्र क्रमांक एफ.77(1)खा.वि./सत./करौली/2017 दिनांक 22.02.2017 के द्वारा गठित कमेटी द्वारा दिनांक 16.03.2017 को अपीलार्थी तथा अन्य गवाहों की उपस्थिति में अपीलार्थी की राशन दुकान का निरीक्षण किया गया था। मौके पर बनाये गये फर्द मौका के अनुसार अपीलार्थी द्वारा अवगत करवाया गया था कि उक्त दुकान के अतिरिक्त अन्य कोई दुकान, गोदाम अपीलार्थी के पास नहीं है ना ही किसी अन्य जगह अपीलार्थी के द्वारा राशन सामग्री का भण्डारण किया जाता है। मौके पर दुकान का भौतिक सत्यापन करने पर दुकान में 34 क्विं. गेंहूं, 770 लीटर केरोसीन, 00 किलो चीनी पाई गई। मौके पर पी.डी.एस. ऑर्डर 2001 के अनुरूप सूचनाओं का अंकन नहीं किया जाना, मूल प्राधिकार पत्र, ब्लू प्रिण्ट, पूर्व माह की एम.पी.आर., पुराने स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर, एन.एफ.एस.ए. की ई–सूची एवं यूनिट रजिस्टर संधारित नहीं पाये गये। फर्द मौका पर अपीलार्थी राशन डीलर के साथ–साथ अन्य गवाहों के हस्ताक्षर भी हैं। जांच रिपोर्ट दिनांक 16.03.2017 के अनुसार अपीलार्थी राशन डीलर को सितंबर 2016 से वक्त जांच तक आपूरित 376.71 क्विं. गेंहूं में से 220.09 क्विं. गेंहूं का पोस मशीन से वितरण के बाद शेष 156.61 क्विं. गेंहूं की अपेक्षा मौके पर 34 क्विं. गेंहूं पाया गया जो 122.62 क्विं. कम था। इसी प्रकार अक्टूबर 2016 से वक्त जांच तक अपीलार्थी को आपूरित 4900 लीटर केरोसीन में से 2928 लीटर केरोसीन का पोस मशीन से वितरण के बाद शेष 1972 लीटर केरोसीन की अपेक्षा 770 लीटर केरोसीन पाया गया जो 1202 लीटर कम था। इसी प्रकार दिनांक 10.10.2016 से वक्त जांच तक अपीलार्थी को आपूरित 23 क्विं. चीनी में से 11.51.100 क्विं. चीनी का पोस मशीन से वितरण के बाद शेष 11.48.900 क्विं. चीनी की अपेक्षा 00 क्विं. चीनी पायी गयी जो 11.48.900 क्विं. चीनी कम थी। अपीलार्थी डीलर के पास ऑन लाइन सूचना के आधार पर बने रोस्टर अनुसार अन्त्योदय के 40 कार्ड एवं एन.एफ.एस.ए. के 121 कार्ड एवं 1064 यूनिट पर बने 67.20 क्विं. गेंहूं प्रतिमाह के एवज में दिनांक 16.05.2016 तक एवं 15.07.2016 के बाद 67.20 क्विं. गेंहूं प्रतिमाह के अनुसार ही गेंहूं दिया गया है परंतु माह अप्रैल, मई 2016 में बिल नंबर 3780 दिनांक 20.05.2016 द्वारा 126.70 क्विं. गेंहूं एवं बिल नं. 3900 दिनांक 06.06.2016 द्वारा 63. 35 क्विं. गेंहूं कुल 126.70+63.35=190.05 क्विं. गेंहूं अतिरिक्त दिया गया है जिसका पात्र उपभोक्ताओं के अभाव में वितरण संभव नहीं है। जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा सुनवाई हेतु जारी नोटिस के जवाब में अपीलार्थी द्वारा कम पायी गई सामग्री सहित समस्त शेष

जिला कलक्टर
करौली

सामग्री का वक्त जांच मौके पर मौजूद होना, समस्त रिकॉर्ड आदि वक्त जांच, जांच दल को उपलब्ध करवाना, सूचनाओं का प्रदर्शन किया जाना, अतिरिक्त आवंटित गेंहूं का पात्र परिवारों को वितरण किया जाना अंकित किया है, मगर वक्त जांच मौके पर बनाये गये फर्द मौका पर भी अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं जिसकी उपस्थिति में जांच की जाकर फर्द मौका पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर लिये गये थे एवं अतिरिक्त आवंटित 190.05 क्विं. गेंहूं का वितरण पात्र उपभोक्तओं के अभाव में संभव ही नहीं है। तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा किस आधार पर वास्तविक ऑनलाइन सूचना से 600 कार्ड एवं 2534 यूनिट बढ़ाकर आदेश क्रमांक–रसद/उ.मू.दु./2015–16/4184–96 दिनांक 18.05.2016 द्वारा अपीलार्थी को 190.05 क्विं. गेंहूं का अतिरिक्त आवंटन किया गया है? यह भी जांच का विषय है। जांच कमेटी द्वारा भी 190.05 क्विं. गेंहूं के अतिरिक्त आवंटन को प्रायोजित दुरूपयोग का मामला माना है जिसमें तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, करौली की मिलीभगत की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार 122.62 क्विं. गेंहूं, 1202 लीटर केरोसीन तथा 11.51.100 क्विं. चीनी का कम पाया जाना एवं पात्र उपभोक्ताओं के अभाव में 190.05 क्विं. गेंहूं का अतिरिक्त आवंटन होना गंभीर अनियमितताएं है एवं प्रथम द्रष्टया उक्त राशन सामग्री का दुरुपयोग किया जाना विदित होता है। खाद्य विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 25.03.1994 छोटी–मोटी तकनीकी अनियमितताओं पर मेजर दण्ड नहीं दिये जाने से संबंधित है जबकि इस प्रकरण में गंभरी अनियमितताएं होने के कारण इस प्रकरण पर लागू नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम अपील अपीलार्थी को खारिज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.07.2017 को यथावत् रखा जाता है। अपीलार्थी डीलर से दुरूपयोग की गई राशन सामग्री 122.62 क्विं. गेंहूं, 1202 लीटर केरोसीन, 11.51.100 क्विं. चीनी को अपीलार्थी को आवंटित, वितरित एवं दिनांक 25.07.2017 को स्टॉक हैण्डओवर सामग्री से मिलान करते हुए तथा अतिरिक्त आवंटित 190.05 क्विं. गेंहूं की वसूली की कार्यवाही जिला रसद अधिकारी, करौली द्वारा की जावे। राशन सामग्री के इस प्रायोजित दुरूपयोग प्रकरण में अपीलार्थी डीलर को अतिरिक्त आवंटन करने वाले तत्कालीन जिला रसद अधिकारी, करौली की भूमिका की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर द्वारा विभागीय स्तर से जांच करवाई जावे एवं तत्कालीन जिला रसद अधिकारी करौली की इस प्रकरण में संलिप्तता/दोषी पाये जाने पर नियमानुसार विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान जयपुर को भिजवाई जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय को उनकी पत्रावली के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(नन्नूमल पहाड़िया)
जिला कलक्टर
करौली